संख्या- 28/2021/2156 /12-3-2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ :दिनांकः 27 दिसम्बर, 2021

विषय: केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत डी0बी0टी0 द्वारा अनुदान वितरण तथा डाटा सुरक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विभिन्न केन्द्र पोषित तथा राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को योजना की धनराशि/अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरित किया जाता है। योजनाओं के दिशा निर्देश के अधीन कृषकों के आवेदन पत्र को सत्यापन के उपरान्त डिजीटली हस्ताक्षरित/लाॅक किया जाता है तथा धनराशि का भुगतान भी डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही में मुख्यालय, जनपद तथा विकासखण्ड स्तर पर User Name/Password उपलब्ध कराए गए हैं तथा क्पहपजंस Digital Signature भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह User Name/ Password और Digital Signature योजनाओं के क्रियान्वयन कराने के लिए उन अधिकारियों को दिए गए हैं, जिन पर योजना के सफल क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व है। उपलब्ध User Name/Password और Digital Signature की सुरक्षा तथा दुरूपयोग को रोकने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की ही होती है।

2. उपरोक्त User Name/Password और Digital Signature का गलत हाथों में जाने से लाभार्थी से सम्बन्धित डाटा में अवांछनीय परिवर्तन तथा वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना बनी रहती है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि जिस भी अधिकारी को मुख्यालय स्तर से User Name/Password और Digital Signature उपलब्ध कराए गये हैं, उसकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदाई रहते हुए कार्यवाही करें। User Name/Password और Digital Signature किसी भी दशा में अपने अधीनस्थ कर्मियों को उपलब्ध न कराएं तथा किसी भी दशा में सेवादाता के माध्यम से आबद्ध कर्मियों को न उपलब्ध कराएं। सेवादाता के माध्यम से आबद्ध कर्मी विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं होते तथा वह सेवा छोड़ कर जाते रहते हैं। अतः उनके उपर इस तरह की सम्वेदनशील सूचनाओं को उपलब्ध करा निर्भर नहीं होना चाहिए। उनकी सेवाओं का उपयोग सहायता की ही होनी चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा हेतु पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए और उसकी गोपनीयता ((confidenciality)) भी बनाई रखनी चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होगा। User Name/ Password और Digital Signature को किसी अन्य को देने के परिणामस्वरूप आगे परियोजना में होने वाली अनियमितता/डाटा में छेड़छाड़ के लिए पूर्ण रूप से वही अधिकारी उत्तरदाई माने जाएंगे जिनको यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।